

40

अविद्यमान की शक्ति

का रसोद

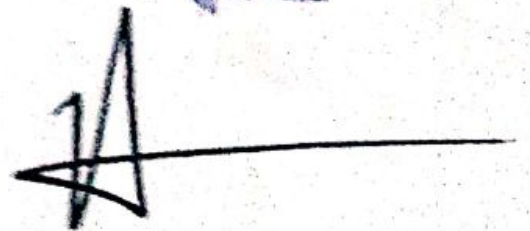
आवेदन संख्या 2451

दिनांक 21/2/19

आवेदन का राय देवानन्द मल्ल

पृष्ठ 500-7

व्यक्तिगत हस्ताक्षर



खेत/शाखा प्रकल्प SAI-HOMES-RANCH

अनुसूची 21- प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाण-पत्र

119/2019

119/21.02.2019

प्रमाण-पत्र, संख्या 201

त्रिलोदी नाचा हा

आवेदक सं०

चूँकि श्री देवानरा हा ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबन्धित सव्यवहारों और अवभारों का संविवरण-प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियाँ में ता० 1-1-1981 201 से ता० 15-2-19 201 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्यवहारों का पता चला है।

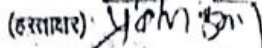
क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्ठा-दन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रगति के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	पृष्ठ सं०	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मौजा 62	खोता 882		खोता 2220 2225					

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बन्धक पत्र की दशा में, व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टे दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

नै यह भी प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को जोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला ।

निम्न व्यक्ति तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) 

(पदनाम)

उ. अ. नि.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

अतिरिक्त उपाय निदेशक प्रमाणित
कार्यालय मयपुरी

तारीख

21.2.19



नियन्त्रण प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर
22.02.2019

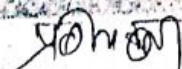
टिप्पणी-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं इन्हें संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाई गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल किये जायेंगे ।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हों, अथवा प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी ।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भर्त्सक सापधानी से की फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी गूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा ।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि इसके द्वारा पाये गये संव्यवहारों और अवमारों के सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिये गये हैं; इसलिये निम्न आवेदक द्वारा न बूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

प्रतिनिधि - SAU - HOMES RANCH के पता ... नं. 10
के जालोड़ में


21.2.19

अतिरिक्त उपाय निदेशक
22.02.2019 मयपुरी